सभी सेवाएं तथा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के 45 जिला उद्योग कार्य कर रहे हैं तथा राज्य के लगभग सभी आदिवासी जिलों में प्रत्येक में एक-एक जिला उद्योग केंद्र हैं।

वर्ष 1989-1991 (जून तक) के दौरान, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों को 96 आशय पत्र तथा 35 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन किए जाने संबंधी मानदण्ड

1519. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन किए जाने संबंधी मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वस्तु की कितनी-कितनी मात्रा आबंटित की गई; और

(ग) मूल्यों में रियायत देने का क्या मानदण्ड है तथा इनमें कितनी रियायत दी जाती है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार आबंटन के निम्नांकित मानदण्ड के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मुख्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करती है :

(1) खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, केंद्रीय पूल में स्टाक की स्थिति बाजार में उपलब्ध मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परस्पर आवश्यकताओं और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुये माहवार-माह आधार पर किया जाता है।

(2) आयातित खाद्य तेल का आबंटन केंद्रीय सरकार के पास भंडार उपलब्ध होने पर किया जाता है।

(3) मिट्टी के तेल का आबंटन सामान्यत: पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन पर उचित वृद्धि करके किया जाता है तथा वृद्धि की मात्रा मिट्टी के तेल के आयात के वास्ते विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1.10.1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान मानदण्ड पर किया जाता है। तथापि, केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक के लिए लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय किया है। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र मांग को पूरा करना नहीं होता।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए 1991 (अगस्त, 1991 तक) में चावल, गेहूं, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और लेवी चीनी के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है।

(ग) केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के वास्ते केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने में राज सहायता के रूप में बड़ी राशि खर्च करती है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में रहने वाली आबादी के लिए एक योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में रहने वाले

लोगों को खाद्यान्न का वितरण और अधिक राज सहायता प्राप्त दरों पर किया जाता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के सामान्य मूल्यों से कम होती हैं। 1990-91 में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) पर दी गई राज सहायता की राशि 2142.42 करोड़ थी।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और चीनी का राज्यवार आवंटन ।

(जनवरी, 1991—अगस्त, 1991)

(आंकड़े हजार मी० टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
आन्ध्र प्रदेश	260.00	1578.00	202.25	3.86	382.35
अरुणाचल प्रदेश	7.20	75.40	2.51	0.10	6.22
असम	225.00	297.40	76.94	0.55	162.99
बिहार	378.00	71.00	267.67	2.50	309.40
गोवा	31.00	35.00	4.00	1.20	17.46
गुजरात	685.00	203.00	129.55	7.20	514.45
हरियाणा	160.00	25.00	51.09	1.30	99.44
हिमाचल प्रदेश	88.00	52.65	16.15	2.25	23.33
जम्मू और कश्मीर	160.00	293.50	23.07	1.30	42.55
कर्नाटक	340.00	389.00	142.15	4.26	290.47
केरल	225.00	1160.00	95.62	3.45	173.04
मध्य प्रदेश	350.00	185.00	200.25	4.50	252.70
महाराष्ट्र	920.00	367.00	239.50	10.60	970.21
मणिपुर	24.00	59.00	5.55	0.40	13.54
मेघालय	20.60	82.50	5.30	0.60	9.92
मिजोरम	10.00	69.00	2.09	1.20	4.06
नगालैण्ड	52.25	94.00	3.41	1.80	6.78
उड़ीसा	231.00	195.00	99.14	2.92	101.69
पंजाब	110.00	12.50	63.56	1.40	209.95
राजस्थान	665.00	26.60	135.31	1.74	173.41
सिक्किम	4.80	37.00	1.32	0.40	4.67
तमिलनाडु	240.00	610.48	180.38	3.58	429.91
त्रिपुरा	20.00	115.80	8.01	0.40	13.79
उत्तर प्रदेश	560.90	225.00	423.41	4.00	597.97
पश्चिमी बंगाल	760.00	539.00	207.10	6.60	487.96
अंडमान व निकोबार	6.30	13.50	1.98	0.60	2.33
चंडीगढ़	19.20	4.80	2.98	0.20	13.53
दादरा व नगर हवेली	1.60	4.50	0.41	0.18	1.87
दमण व दीव	1.20	4.15	0.31	0.27	1.96
दिल्ली	588.00	167.00	69.77	3.50	155.59
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.57	0.21	0.60
पांडिचेरी	6.00	17.00	3.20	0.40	9.49
योग :	7149.45	7008.78	2664.55	73.48	5483.62